न्यायालय जिला न्यायाधीश, राजसमंद (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश : आलोक सुरोलिया, आर.जे.एस.
(डी.जे. कैडर)

प्रकरण सं. 39/2022 ई0दी0
सी.आई.एस. नम्बर 39/2022 (CNR NO.- RJRS010014112022)

श्रीमती सुंदर बाई पुत्री डालु, पत्नी शंकरलाल, जाति गाडरी, उम्र 49 वर्ष, निवासी चौकड़ी, तहसील रेलमगरा, हाल निवासी घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद ———वादिया

बनाम

1 प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगु, जाति गाडरी, उम्र 34 वर्ष, निवासी चौकड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद

2. डालु पुत्र चेना, जाति गाडरी, उम्र 70 वर्ष, निवासी चौकड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद

3. बद्रीलाल पुत्र डालु, जाति गाडरी, उम्र 42 वर्ष, निवासी चौकड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

5. उप पंजीयक अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद

————————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :–

1. श्री सुनील बोहरा, विद्वान अधिवक्ता, वादिया की ओर से
2. श्री फिरोज खान, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. श्री जसवंतराय चौहान, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से
4. श्री जयदेव कच्छावा, विद्वान राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादी संख्या 4 व 5

—— आदेश ——

दिनांक : 27.07.2022

1. प्रतिवादी संख्या 2 डालु की ओर से धारा 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया कि वादिया श्रीमती सुंदर बाई ने मौजा चौकड़ी में स्थित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य एवं अवैध घोषित करने हेतु हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व इन्हीं आराजीयात को वादिया द्वारा अपनी पैतृक बताते हुए अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिए प्रतिवादी संख्या 2 डालु एवं प्रतिवादी संख्या 3 बद्रीलाल तथा सहखातेदारों के विरुद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी, रेलमगरा के

समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन, स्वतंत्र अंकन एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व में प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पक्षकार है तथा वाद में वर्णित भूमियां भी समान है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय में विचाराधीन वाद एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही का निस्तारण नहीं होने तक पश्चातवर्ती हस्तगत वाद एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

2. उक्त प्रार्थनापत्र का वादिया की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा।

3. वाद के संक्षिप्त तथ्यानुसार राजस्व ग्राम चौकड़ी में वादिया, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की जमीन स्थित है जिसका कुल रकबा 2.6144 हैक्टेयर है, जो प्रतिवादी संख्या 02 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादिया का भी हक–अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जरिये वादिया के हक–हिस्से की कृषि भूमियों का फर्जी विक्रय–पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिये वादिया की ओर से हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादिया ने मौजा चौकड़ी में स्थित कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य एवं अवैध घोषित करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि उक्त वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व इन्हीं आराजीयात को वादिया द्वारा अपनी पैतृक बताते हुए अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा सहखातेदारों के विरुद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी, रेलमगरा के समक्ष घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय में विचाराधीन वाद एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही का निस्तारण नहीं होने तक इस वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

6. अप्रार्थी/वादिया के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद कृषि भूमि के बंटवारे के संबंध में है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 पक्षकार नहीं है जबकि वादिया ने हस्तगत वाद विक्रयपत्र निरस्तीकरण के लिये

प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

7. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. वादिया ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रयपत्र को निरस्त करने के लिये हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व इन्हीं आराजीयात को वादिया द्वारा अपनी पैतृक बताते हुए अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिए प्रतिवादी संख्या 2 डालु एवं प्रतिवादी संख्या 3 बद्रीलाल तथा सहखातेदारों के विरुद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी, रेलमगरा के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन, स्वतंत्र अंकन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में लम्बित है। उक्त वाद कृषि भूमि के बंटवारे के संबंध में है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 पक्षकार नहीं है जबकि हस्तगत वाद विक्रयपत्र निरस्तीकरण के लिये प्रस्तुत किया गया है, जिसका निस्तारण करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हस्तगत वाद एवं पूर्व में प्रस्तुत वाद के पक्षकारान भिन्न–भिन्न है एवं जो अनुतोष हस्तगत वाद के माध्यम से प्राप्त करना चाहा गया है, वह मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होना पाया जाता है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

9. परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 डालु की ओर से धारा 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(आलोक सुरोलिया)
जिला न्यायाधीश, राजसमन्द

10. आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आलोक सुरोलिया)
जिला न्यायाधीश, राजसमन्द